

देखें,

श्री श्री १०८ मंदिरी  
लुधियाना, पंजाब,  
उत्तर प्रदेश भारत ।

देखें,

श्री श्री माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
जिला क्षेत्र २ मधुप्र,  
श्री श्री विहार, मधुप्र, बिहार ।

दिनांक 17/5/1998

दिनांक 31/5/1998

विषय: श्री श्री माध्यमिक शिक्षा परिषद, लुधियाना, पंजाब को श्री श्री १०८ मंदिरी, लुधियाना से सम्बन्धित अनुदानों का प्रशासनिक विवरण के संबंध में ।

प्रहोदक,

उपर्युक्त विवरण पर मुझे यह पत्र लेना कि श्री श्री १०८ मंदिरी, लुधियाना, पंजाब को श्री श्री १०८ मंदिरी, लुधियाना से सम्बन्धित अनुदानों का प्रशासनिक विवरण के संबंध में क्या राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन प्रेषित नहीं है :-

- 1] विद्यालय की बंदी पूरा होतावटी का समय समय पर नवीन करण कराया जायेगा ।
- 2] विद्यालय की प्रमुख समिति में जिला निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3] विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुपस्थित जाति/अनुपस्थित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालय में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4] संस्था द्वारा राज्य सरकार से जिला अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रस्तावित शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/मंदिरी पर वि. इन्डियन स्कूल नहीं किष्ट इत्यादि अनुदान, कई दिनों से प्राप्त होती है तो उन बंदीग बंदियों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थान प्रदान हो जायेगी ।
- 5] संस्था केन्द्र एवं विभिन्न संस्थाओं को राजकीय तथा प्रायतः प्राप्त अनुदान संस्थाओं के व्ययों को अनुसन्ध व्ययमात्रों तथा अन्य मांगों से कम व्ययमान तथा अन्य मांगें नहीं रिचे जायेगी ।
- 6] व्ययों को सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त प्रशासनिक उपाय माध्यमिक विद्यालयों के व्ययों को अनुसन्ध सेवा प्रदत्त के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेगी ।



- 17] राज्य सरकार द्वारा तमब तमब वर जी जी आदेश निर्गत किये जायेगी तंतथा उनका बानन जेनी ।
- 18] विद्यालय का रिहाई निर्धारित पुस्तक/परिचयों में रखा जायेगा ।
- 19] उक्त आर्गों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

- 2- पुस्तिकाय का भी होगा कि तंतथा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
  - 11] विद्यालय द्वारा कस्टो-वर पुस्तक की सभी मुद्रि वर निर्धारित मानकानुसार बानन का निर्वाह कराया जाय ।
  - 12] विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अध्यापकों के न्यूनतम सखदुरी अधिनियम के अनुसार वैतममान परिमर्षियों का भुगतान किया जाय ।
- 3- उक्त पुस्तिकायों का बानन करना तंतथा के लिए अनिवार्य होगा और क्येदि किसी तमब यह बाधा जाता है कि तंतथा द्वारा उक्त पुस्तिकायों का बानन नहीं किया या रखा है अथवा बानन करने में किसी पुस्तकजी गूठ या गिथिकाता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुस्तक अनुमोदित पुस्तक वर बाधत ले लिया जायेगा ।

अधीन,

प्रमोड मांगुनी  
संयुक्त सचिव ।

02/0-3945/11/19-7-98 तद दिनांक

पुस्तिकाय निम्नलिखित को सुनार्थ सब आवायक अर्थवाही हेतु पुस्तिकाय:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माध्यामिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक जंम भारतीय विद्यालय, उज्जैन लखनऊ ।
- 5- पुस्तक, बेनी मार्टिन बालिका स्कूल, लखनऊ ।

आज्ञा है,

*Signature*  
प्रमोड मांगुनी  
संयुक्त सचिव ।